निगरानी / टीए / 3884 / 2006 / गंगानगर
जगरूपसिंह व अन्य बनाम परमजीतसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ डॉ महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य उपस्थितः– (1) श्री अभिषेक छाबडा, अधिवक्ता प्रार्थी। (2) श्री अमृतपालसिंह वाकर, अधिवक्ता अप्रार्थी। निर्णय दिनांकः– 10–07–2023 1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 07–06–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जो कि वाद संख्या 329 / 2000 में पारित किया गया। 2– निगरानी पर विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। 3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 07–06–2006 विधि विरूद्ध, विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ, बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है। उन्होंने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में पूर्णतया असफल रहा है। उन्होंने कथन किया कि निगरानीधीन आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश है तथा कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक निर्णय व आदेश तार्किक होने चाहिए। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने आरबीजे 2003 पेज 162, एआईआर एससी डब्ल्यू 2005 पेज 1074 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। उन्होंने कथन किया कि निगराधीन आदेश विधि विरूद्ध तथा विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में पारित किये गऐ है। दावा में वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्त हो गई है। प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 3 व आदेश 7 नियम 14 सीपीसी प्रस्तुत कर कुछ दस्तावेज रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। दोनों ही प्रार्थना पत्र दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने से सम्बंधित नहीं है। आदेश 7 नियम 14 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अप्रार्थी की साक्ष्य दिनांक 25–04–2006 को समाप्त हो चुकी है। आदेश 8 नियम 1 ए सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी को अपने दस्तावेज जवाब दावे के साथ ही प्रस्तुत करने चाहिए। उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा के साथ मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। इसलिए आगामी स्तर पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। उन्होंने कथन	

निगरानी/टीए/3884/2006/गंगानगर
जगरूपसिंह व अन्य बनाम परमजीतसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया कि तनकी विरचित होने के पश्चात् दस्तावेजी साक्ष्य नहीं ली जा सकती। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने विधि के प्रावधानों का अवलोकन भी उचित प्रकार से नहीं किया है। इस प्रकार निगराधीन आदेश विधि विरूद्ध तथा विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उन्होंने निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराधीन आदेश दिनांक 07–06–2006 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 3 व आदेश 7 नियम 14 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। 4– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अभिभाषक प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि गांव हबान में हरदीपसिंह पुत्र हरबन्स सिंह कृषि भूमि हदबस्त नं0 231 तहसील फाजीलका जिला फिरोजपुर के खेवट नं0 204, खतौनी नं0 317 के खसरा नं0 147 एवं खसरा नं0 150 में कुल 39–कैनाल जिसमें चाही–34 कैनाल–12 मरले दर्ज कागजात पंजाब राज सरकार के रिकार्ड में दर्ज है। जिसके स्वामित्व कि जमाबंदी का रिकार्ड गुरमुखि भाषा में है तथा उसका तजूमा प्रार्थी पेश कर देगा इस आधार पर अनिगराकार द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 3–4 पेश किया था। इसी के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के तहत पेश किया था जिसमें कथन किया गया था कि जमाबंदी वाक्या चक 13 जेडब्लू0एम तहसील घडसाना जो जगरूपसिंह वल्द हरबंशसिंह जाति जट सिख साकिन चूनावढ तहसील गंगानगर के नाम से मु0न0– (96) प0न0– 129/47 की नहरी बारानी भूमि से सम्बंधित रिकार्ड है जिसे रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07–06–2006 के द्वारा विधिसम्मत रूप से अनिगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हुए निगराकार को उक्त दस्तावेजों के खण्डन में साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। निगराकार द्वारा प्रकरण को लम्बा करने की नियत से मण्डल के समक्ष उक्त निगरानी पेश की गई है जो त्रुटिपूर्ण एवं काबिल निरस्तनीय है। अतः उन्होंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किए जाने का निवेदन किया। 5– हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण प्रार्थी/निगराकार द्वारा परीक्षण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया था जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया था तथा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 07 तनकीयात कायम की गई थी तत्पश्चात् प्रतिवादी अनिगराकार ने परीक्षण न्यायालय में दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 3–4 सीपीसी एवं आदेश 7 नियम 14 सीपीसी पेश कर कुछ दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिए जाने का कथन किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार करते हुए निगराधीन आदेश दिनांक 07–06–2006 के द्वारा उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिए जाने की अनुमति प्रदान की। प्रस्तुत प्रकरण में निगराकार ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से कथन किया है कि ''निगराधीन आदेश विधिविरूद्ध तथा विधिक प्रक्रिया के अवहेलना में पारित किए गए है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी की	

निगरानी / टीए / 3884 / 2006 / गंगानगर
जगरूपसिंह व अन्य बनाम परमजीतसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साक्ष्य समाप्त हो गई थी। प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किए गए, जबकि आदेश 7 नियम 14 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण की साक्ष्य दिनांक 25—04—2006 को समाप्त हो चुकी है। आदेश 8 नियम 1 ए सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी को अपने दस्तावेज जवाबदावे के साथ ही प्रस्तुत करने चाहिए। प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावे के साथ मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है इसलिए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। परीक्षण न्यायालय ने विधि के प्रावधानों का अवलोकन भी उचित प्रकार से नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निगराधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।'' हम निगराकार के इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से संबंधित है जिसमें पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है। यदि किसी पक्षकार द्वारा दस्तावेज पेश किए गए है तो उन्हें न्यायहित में अदालत की जानकारी में लाना आवश्यक है जिससे पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण विधि के अनुसार किया जा सके। पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्यता न बढ़े इसे देखने का कर्तव्य भी न्यायालय का है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण विधिसम्मत रूप से करने के लिए अनिगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद सन् 1995 से लम्बित है जिसमें पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तय किया जाना है। तकनिकी आधार पर पक्षकारान को उनके स्वत्व अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाना उचित प्रतीत होता है। 6— परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीन्स्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ महेन्द्र लोढ़ा) सदस्य	